MATP/D.No.368

# [TO BE PUBLSIHED IN THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

# GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF FINANCE DEPARTMENT OF REVENUE [CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES]

# Notification

New Delhi, the 18<sup>th</sup> September, 2013

## **INCOME - TAX**

S.O.----- (E).---In exercise of the powers conferred by section 92CB read with section 295 of the Income-tax Act, 1961(43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:-

- 1. (1) These rules may be called the Income-tax (16<sup>th</sup> Amendment), Rules, 2013.
  - (2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Income-tax Rules, 1962, -
- (A) in Part-II, in sub-part D relating to special cases, after rule 10T, the following rules shall be inserted, namely:-

#### 'Safe Harbour Rules

10TA. Definitions.- For the purposes of this rule and rule 10TB to rule 10TG, -

- (a) "contract research and development services wholly or partly relating to software development" means the following, namely:-
  - (i) research and development producing new theorems and algorithms in the field of theoretical computer science;
  - (ii) development of information technology at the level of operating systems, programming languages, data management, communications software and
     software development tools;
  - (iii) development of Internet technology;

- (iv) research into methods of designing, developing, deploying or maintaining software;
- (v) software development that produces advances in generic approaches for capturing, transmitting, storing, retrieving, manipulating or displaying information;
- (vi) experimental development aimed at filling technology knowledge gaps as necessary to develop a software programme or system;
- (vii) research and development on software tools or technologies in specialised areas of computing (image processing, geographic data presentation, character recognition, artificial intelligence and such other areas); or
- (viii) upgradation of existing products where source code has been made available by the principal;
- (b) "core auto components" means,---
  - (i) engine and engine parts, including piston and piston rings, engine valves and parts cooling systems and parts and power train components;
  - (ii) transmission and steering parts, including gears, wheels, steering systems, axles and clutches:
  - (iii) suspension and braking parts, including brake and brake assemblies, brake linings, shock absorbers and leaf springs;
- (c) "corporate guarantee" means explicit corporate guarantee extended by a company to its wholly owned subsidiary being a non-resident in respect of any short-term or long-term borrowing.

Explanation.- For the purposes of this clause, explicit corporate guarantee does not include letter of comfort, implicit corporate guarantee, performance guarantee or any other guarantee of similar nature;

- (d) "generic pharmaceutical drug" means a drug that is comparable to a drug already approved by the regulatory authority in dosage form, strength, route of administration, quality and performance characteristics, and intended use;
- (e) "information technology enabled services" means the following business process outsourcing services provided mainly with the assistance or use of information technology, namely:-

- (i) back office operations;
- (ii) call centres or contact centre services;
- (iii) data processing and data mining;
- (iv) insurance claim processing;
- (v) legal databases;
- (vi) creation and maintenance of medical transcription excluding medical advice;
- (vii) translation services;
- (viii) payroll;
- (ix) remote maintenance;
- (x) revenue accounting;
- (xi) support centres;
- (xii) website services;
- (xiii) data search integration and analysis;
- (xiv) remote education excluding education content development; or
- (xv) clinical database management services excluding clinical trials,

but does not include any research and development services whether or not in the nature of contract research and development services;

- (f) "intra-group loan" means loan advanced to wholly owned subsidiary being a non-resident, where the loan--
  - (i) is sourced in Indian rupees;
  - (ii) is not advanced by an enterprise, being a financial company including a bank or a financial institution or an enterprise engaged in lending or borrowing in the normal course of business; and
  - (iii) does not include credit line or any other loan facility which has no fixed term for repayment;
- (g) "knowledge process outsourcing services" means the following business process outsourcing services provided mainly with the assistance or use of information technology requiring application of knowledge and advanced analytical and technical skills, namely:-

- (i) geographic information system;
- (ii) human resources services;
- (iii) engineering and design services;
- (iv) animation or content development and management;
- (v) business analytics;
- (vi) financial analytics; or
- (vii) market research,

but does not include any research and development services whether or not in the nature of contract research and development services;

- (h) "non-core auto components" mean auto components other than core auto components;
- (i) "no tax or low tax country or territory" means a country or territory in which the maximum rate of income-tax is less than fifteen per cent.;
- (j) "operating expense" means the costs incurred in the previous year by the assessee in relation to the international transaction during the course of its normal operations including depreciation and amortisation expenses relating to the assets used by the assessee, but not including the following, namely:-
  - (i) interest expense;
  - (ii) provision for unascertained liabilities;
  - (iii) pre-operating expenses;
  - (iv) loss arising on account of foreign currency fluctuations;
  - (v) extra-ordinary expenses;
  - (vi) loss on transfer of assets or investments;
  - (vii) expense on account of income-tax; and
  - (viii) other expenses not relating to normal operations of the assessee;
- (k) "operating revenue" means the revenue earned by the assessee in the previous year in relation to the international transaction during the course of its normal operations but not including the following, namely:-
  - (i) interest income;

- (ii) income arising on account of foreign currency fluctuations;
- (iii) income on transfer of assets or investments;
- (iv) refunds relating to income-tax;
- (v) provisions written back;
- (vi) extraordinary incomes; and
- (vii) other incomes not relating to normal operations of the assessee;
- (i) "operating profit margin" in relation to operating expense means the ratio of operating profit, being the operating revenue in excess of operating expense, to the operating expense expressed in terms of percentage;
- (m) "software development services" means,-
  - business application software and information system development using known methods and existing software tools;
  - (ii) support for existing systems;
  - (iii) converting or translating computer languages;
  - (iv) adding user functionality to application programmes;
  - (v) debugging of systems;
  - (vi) adaptation of existing software; or
  - (vii) preparation of user documentation,

but does not include any research and development services whether or not in the nature of contract research and development services.

- **10TB.** Eligible assessee.— (1) Subject to the provisions of sub-rules (2) and (3), the 'eligible assessee' means a person who has exercised a valid option for application of safe harbour rules in accordance with rule 10TE, and -
  - (i) is engaged in providing software development services or information technology enabled services or knowledge process outsourcing services, with insignificant risk, to a non-resident associated enterprise (hereinafter referred as foreign principal);
  - (ii) has made any intra-group loan;
  - (iii) has provided a corporate guarantee;
  - (iv) is engaged in providing contract research and development services wholly or partly relating to software development, with insignificant risk, to a foreign principal;

- (v) is engaged in providing contract research and development services wholly or partly relating to generic pharmaceutical drugs, with insignificant risk, to a foreign principal; or
- (vi) is engaged in the manufacture and export of core or non-core auto components and where ninety per cent. or more of total turnover during the relevant previous year is in the nature of original equipment manufacturer sales.
- (2) For the purposes of identifying an eligible assessee, with insignificant risk, referred to in item (i) of sub-rule (1), the Assessing Officer or the Transfer Pricing Officer, as the case may be, shall have regard to the following factors, namely:-
  - (a) the foreign principal performs most of the economically significant functions involved, including the critical functions such as conceptualisation and design of the product and providing the strategic direction and framework, either through its own employees or through its other associated enterprises, while the eligible assessee carries out the work assigned to it by the foreign principal;
  - (b) the capital and funds and other economically significant assets including the intangibles required, are provided by the foreign principal or its other associated enterprises, and the eligible assessee is only provided a remuneration for the work carried out by it;
  - (c) the eligible assessee works under the direct supervision of the foreign principal or its associated enterprise which not only has the capability to control or supervise but also actually controls or supervises the activities carried out through its strategic decisions to perform core functions as well as by monitoring activities on a regular basis;
  - (d) the eligible assessee does not assume or has no economically significant realised risks, and if a contract shows that the foreign principal is obligated to control the risk but the conduct shows that the eligible assessee is doing so, the contractual terms shall not be the final determinant;
  - (e) the eligible assessee has no ownership right, legal or economic, on any intangible generated or on the outcome of any intangible generated or arising during the course of rendering of services, which vests with the foreign principal as evident from the contract and the conduct of the parties.
- (3) For the purposes of identifying an eligible assessee, with insignificant risk, referred to in items (iv) and (v) of sub-rule (1), the Assessing Officer or the Transfer Pricing Officer, as the case may be, shall have regard to the following factors, namely:-

- (a) the foreign principal performs most of the economically significant functions involved in research or product development cycle, including the critical functions such as conceptualisation and design of the product and providing the strategic direction and framework, either through its own employees or through its other associated enterprises while the eligible assessee carries out the work assigned to it by the foreign principal;
- (b) the foreign principal or its other associated enterprises provides the funds or capital and other economically significant assets including intangibles required for research or product development and also provides a remuneration to the eligible assessee for the work carried out by it;
- (c) the eligible assessee works under the direct supervision of the foreign principal or its other associated enterprise which has not only the capability to control or supervise but also actually controls or supervises research or product development, through its strategic decisions to perform core functions as well as by monitoring activities on a regular basis;
- (d) the eligible assessee does not assume or has no economically significant realised risks, and if a contract shows that the foreign principal is obligated to control the risk but the conduct shows that the eligible assessee is doing so, the contractual terms shall not be the final determinant;
- (e) the eligible assessee has no ownership right, legal or economic, on the outcome of the research which vests with the foreign principal and is evident from the contract as well as the conduct of the parties.

**10TC.** Eligible international transaction.— 'Eligible international transaction' means an international transaction between the eligible assessee and its associated enterprise, either or both of whom are non-resident, and which comprises of:

- (i) provision of software development services;
- (ii) provision of information technology enabled services;
- (iii) provision of knowledge process outsourcing services;
- (iv) advance of intra-group loan;
- (v) provision of corporate guarantee, where the amount guaranteed,-
  - (a) does not exceed one hundred crore rupees; or
  - (b) exceeds one hundred crore rupees, and the credit rating of the associated enterprise, done by an agency registered with the Securities and Exchange Board of India, is of the adequate to highest safety;

- (vi) provision of contract research and development services wholly or partly relating to software development;
- (vii) provision of contract research and development services wholly or partly relating to generic pharmaceutical drugs;
- (viii) manufacture and export of core auto components; or
- (ix) manufacture and export of non-core auto components,

by the eligible assessee.

- 10TD. Safe Harbour.— (1) Where an eligible assessee has entered into an eligible international transaction and the option exercised by the said assessee is not held to be invalid under rule 10TE, the transfer price declared by the assessee in respect of such transaction shall be accepted by the income-tax authorities, if it is in accordance with the circumstances as specified in sub-rule (2).
- (2) The circumstances referred to in sub-rule (1) in respect of the eligible international transaction specified in column (2) of the Table below shall be as specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table:-

SNo	Eligible International Transaction	Circumstances
(1)	(2)	(3)
1.	Provision of software development services referred to in item (i) of rule 10TC.	The operating profit margin declared by the eligible assessee from the eligible international transaction in relation to operating expense incurred is —  (i) not less than 20 per cent., where the aggregate value of such transactions entered into during the previous year does not exceed a sum of five hundred crore rupees; or  (ii) not less than 22 per cent., where the aggregate value of such transactions entered into during the previous year exceeds a sum of five hundred crore rupees.
2.	Provision of information technology enabled services referred to in item (ii) of rule 10TC.	The operating profit margin declared by the eligible assessee from the eligible international transaction in relation to operating expense is —  (i) not less than 20 per cent., where the

		aggregate value of such transactions entered into during the previous year does not exceed a sum of five hundred crore rupees; or (ii) not less than 22 per cent., where the aggregate value of such transactions entered into during the previous year exceeds a sum of five hundred crore rupees.
3.	Provision of knowledge process	The operating profit margin declared by the
	outsourcing services referred to	eligible assessee from the eligible
	in item (iii) of rule 10TC.	international transaction in relation to
		operating expense is not less than 25 per
		cent
4.	Advancing of intra-group loans	The Interest rate declared in relation to the
	referred to in item (iv) of rule	eligible international transaction is not less
	10TC where the amount of loan	than the base rate of State Bank of India as
	does not exceed fifty crore	on 30 <sup>th</sup> June of the relevant previous year
	rupees.	plus 150 basis points.
5.	Advancing of intra-group loans	The Interest rate declared in relation to the
	referred to in item (iv) of rule	eligible international transaction is not less
	10TC where the amount of loan	than the base rate of State Bank of India as
ľ	exceeds fifty crore rupees.	on 30 <sup>th</sup> June of the relevant previous year
		plus 300 basis points.
6.	Providing corporate guarantee	The commission or fee declared in relation
	referred to in sub-item (a) of	to the eligible international transaction is at
	item (v) of rule 10TC.	the rate not less than 2 per cent. per
		annum on the amount guaranteed.
7.	Providing corporate guarantee	The commission or fee declared in relation
	referred to in sub-item (b) of	to the eligible international transaction is at
	item (v) of rule 10TC.	the rate not less than 1.75 per cent. per
		annum on the amount guaranteed.
8.	Provision of contract research	The operating profit margin declared by the
	and development services wholly	eligible assessee from the eligible
	or partly relating to software	international transaction in relation to
	development referred to in item	operating expense incurred is not less than
	(vi) of rule 10TC.	30 per cent
9.	Provision of contract research	The operating profit margin declared by the
	and development services wholly	eligible assessee from the eligible
	or partly relating to generic	international transaction in relation to
	pharmaceutical drugs referred to	operating expense incurred is not less than

	in item (vii) of rule 10TC.	29 per cent
10.	Manufacture and export of core auto components referred to in item (viii) of rule 10TC.	The operating profit margin declared by the eligible assessee from the eligible international transaction in relation to operating expense is not less than 12 per cent
11.	Manufacture and export of non- core auto components referred to in item (ix) of rule 10TC.	The operating profit margin declared by the eligible assessee from the eligible international transaction in relation to operating expense is not less than 8.5 per cent

- (3) The provisions of sub-rules (1) and (2) shall apply for the assessment year 2013-14 and four assessment years immediately following that assessment year.
- (4) No comparability adjustment and allowance under the second proviso to sub-section (2) of section 92C shall be made to the transfer price declared by the eligible assessee and accepted under sub-rules (1) and (2) above.
- (5) The provisions of sections 92D and 92E in respect of an international transaction shall apply irrespective of the fact that the assessee exercises his option for safe harbour in respect of such transaction.
- **10TE.** Procedure.— (1) For the purposes of exercise of the option for safe harbour, the assessee shall furnish a Form 3CEFA, complete in all respects, to the Assessing Officer on or before the due date specified in *Explanation* 2 below sub-section (1) of section 139 for furnishing the return of income for -
  - the relevant assessment year, in case the option is exercised only for that assessment year; or
  - (ii) the first of the assessment years, in case the option is exercised for more than one assessment year:

Provided that the return of income for the relevant assessment year or the first of the relevant assessment years, as the case may be, is furnished by the assessee on or before the date of furnishing of Form 3CEFA.

(2) The option for safe harbour validly exercised shall continue to remain in force for the period specified in Form 3CEFA or a period of five years whichever is less:

Provided that the assessee shall, in respect of the assessment year or years following the initial assessment year, furnish a statement to the Assessing Officer before furnishing

return of income of that year, providing details of eligible transactions, their quantum and the profit margins or the rate of interest or commission shown:

Provided further that an option for safe harbour shall not remain in force in respect of any assessment year following the initial assessment year, if -

- (i) the option is held to be invalid for the relevant assessment year by the Transfer Pricing Officer under sub-rule (11) or by the Commissioner under sub-rule (8) in respect of an objection filed by the assessee against the order of the Transfer Pricing Officer under sub-rule (11), as the case may be; or
- (ii) the eligible assessee opts out of the safe harbour, for the relevant assessment year, by furnishing a declaration to that effect, to the Assessing Officer.
- (3) On receipt of Form 3CEFA, the Assessing Officer shall verify whether-
  - (i) the assessee exercising the option is an eligible assessee; and
  - (ii) the transaction in respect of which the option is exercised is an eligible international transaction,

before the option for safe harbour by the assessee is treated to be validly exercised.

- (4) Where the Assessing officer doubts the valid exercise of the option for the safe harbour by an assessee, he shall make a reference to the Transfer Pricing Officer for determination of the eligibility of the assessee or the international transaction or both for the purposes of the safe harbour.
- (5) For the purposes of sub-rule (4) and sub-rule (10), the Transfer Pricing Officer may require the assessee, by notice in writing, to furnish such information or documents or other evidence as he may consider necessary, and the assessee shall furnish the same within the time specified in such notice.
- (6) Where-
  - (a) the assessee does not furnish the information or documents or other evidence required by the Transfer Pricing Officer; or
  - (b) the Transfer Pricing Officer finds that the assessee is not an eligible assessee; or
  - (c) the Transfer Pricing Officer finds that the international transaction in respect of which the option referred to in sub-rule (1) has been exercised is not an eligible international transaction,

the Transfer Pricing Officer shall, by order in writing, declare the option exercised by the assessee under sub-rule (1) to be invalid and cause a copy of the said order to be served on the assessee and the Assessing Officer:

**Provided** that no order declaring the option exercised by the assessee to be invalid shall be passed without giving an opportunity of being heard to the assessee.

- (7) If the assessee objects to the order of the Transfer Pricing Officer under sub-rule (6) or sub-rule (11) declaring the option to be invalid, he may file his objections with the Commissioner, to whom the Transfer Pricing Officer is subordinate, within fifteen days of receipt of the order of the Transfer Pricing Officer.
- (8) On receipt of the objection referred to in sub-rule (7), the Commissioner shall after providing an opportunity of being heard to the assessee pass appropriate orders in respect of the validity or otherwise of the option exercised by the assessee and cause a copy of the said order to be served on the assessee and the Assessing Officer.
- (9) In a case where option exercised by the assessee has been held to be valid, the Assessing officer shall proceed to verify whether the transfer price declared by the assessee in respect of the relevant eligible international transactions is in accordance with the circumstances specified in sub-rule (2) of rule 10 TD and, if it is not in accordance with the said circumstances, the Assessing Officer shall adopt the operating profit margin or rate of interest or commission specified in sub-rule (2) of rule 10TD.
- (10) Where the facts and circumstances on the basis of which the option exercised by the assessee was held to be valid have changed and the Assessing Officer has reason to doubt the eligibility of an assessee or the international transaction for any assessment year other than the initial Assessment Year falling within the period for which the option was exercised by the assessee, he shall make a reference to the Transfer Pricing Officer for determination of eligibility of the assessee or the international transaction or both for the purpose of safe harbour.

Explanation.- For purposes of this sub-rule the facts and circumstances include:-

- (a) functional profile of the assessee in respect of the international transaction;
- (b) the risks being undertaken by the assessee;
- (c) the substantive contractual conditions governing the role of the assessee in respect of the international transaction;
- (d) the conduct of the assessee as referred to in sub-rule (2) or sub-rule (3) of rule 10TB; or
- (e) the substantive nature of the international transaction.

- (11) The Transfer Pricing Officer on receipt of a reference under sub-rule (10) shall, by an order in writing, determine the validity or otherwise of the option exercised by the assessee for the relevant year after providing an opportunity of being heard to the assessee and cause a copy of the said order to be served on the assessee and the Assessing Officer.
- (12) Nothing contained in this rule shall affect the power of the Assessing Officer to make a reference under section 92CA in respect of international transaction other than the eligible international transaction.
- (13) Where no option for safe harbour has been exercised under sub-rule (1) by an eligible assessee in respect of an eligible international transaction entered into by the assessee or the option exercised by the assessee is held to be invalid, the arm's length price in relation to such international transaction shall be determined in accordance with the provisions of sections 92C and 92CA without having regard to the profit margin or the rate of interest or commission as specified in sub-rule (2) of rule 10TD.

# (14) For the purposes of this rule,-

- (i) no reference under sub-rule(4) shall be made by an Assessing Officer after expiry of a period of two months from the end of the month in which Form 3CEFA is received by him;
- (ii) no order under sub-rule (6) or sub-rule (11) shall be passed by the Transfer Pricing Officer after expiry of a period of two months from the end of the month in which the reference from the Assessing officer under sub-rule(4) or sub-rule (10), as the case may be, is received by him;
- (iii) the order under sub-rule (8) shall be passed by the Commissioner within a period of two months from the end of the month in which the objection filed by the assessee under sub-rule(7) is received by him.
- (15) If the Assessing Officer or the Transfer Pricing Officer or the Commissioner, as the case may be, does not make a reference or pass an order, as the case may be, within the time specified in sub-rule (14), then the option for safe harbour exercised by the assessee shall be treated as valid.
- **10TF.** Safe harbour rules not to apply in certain cases.— Nothing contained in rules 10TA, 10TB, 10TC, 10TD or rule 10TE shall apply in respect of eligible international transactions entered into with an associated enterprise located in any country or territory notified under section 94A or in a no tax or low tax country or territory.
- 10TG. Mutual Agreement Procedure not to apply.— Where transfer price in relation to an eligible international transaction declared by an eligible assessee is accepted by the incometax authorities under section 92CB, the assessee shall not be entitled to invoke mutual

agreement procedure under an agreement for avoidance of double taxation entered into with a country or specified territory outside India as referred to in sections 90 or 90A.';

(B) in Appendix II, after Form No. 3CEF, the following shall be inserted, namely:-

# "Form No. 3CEFA (See sub-rule (1) of rule 10 ...) Application for Opting for Safe Harbour

To,				
The Ass	The Assessing Officer			
Sir/Mad	lam,			
	se to opt for the safe harbour rules under section 92CB th rule 10TA to rule 10TG of Income-tax Rules, 1962. In er:			
1.Gene	ral:			
(a)	Full name of the assessee:			
(b)	Permanent Account Number:			
(c)	Address of the assessee:			
(d)	Nature of business or activities of the assessee:#			
(e)	Status			
(f)	whether the option is to be exercised for one assessme	ent year? yes / no		
	(i) if yes , following details be provided,-			
	(1) previous year ended			
	(2) assessment year			
	(3) date of furnishing of return of incom	e for the assessment year		
	(ii) if no, following details be provided,-	· 		
	(1) assessment years for which the option			
	(2) date of furnishing of return of incom assessment years mentioned in (1)	e in respect of the first of the		
	assessment years mentioned in (1)			
2. Eligib	le International Transaction:			
SI.	Particulars in respect of eligible international	Remarks		
No	transaction			
1.	Has the eligible assessee entered into any	Yes/No		
	international transaction in respect of the provision			

of software development services referred in item

(a) Name and address of the associated enterprises (AE) with whom the eligible international transaction has been entered

If Yes, provide the following details\*:

(i) of Rule 10TC?

	- 1
	-

		T
	into. (b) Name of the country or territory in which AE	
	(s) is located.	
	(c) Whether country or territory is a no tax or	
	low tax country or territory as defined in	
	rule 10TA.	
	(d) Description of the eligible international	
	transaction.	
	(e) Amount received or receivable for the	
	services provided.	
	(f) Operating profit margin in relation to	
	operating expense declared	
	(g) Whether transfer price is in accordance with	Yes/No
	the circumstances specified under rule 10TD	•
2.	Has the eligible assessee entered into any	Yes/No
-	international transaction in respect of the provision	. 45, 112
	of information technology enabled services referred	
	to in item (ii) of rule 10TC?	
	If Yes, provide the following details*:	
	-	
•	(a) Name and address of the associated	
	enterprises with whom the eligible	
	international transaction has been entered	
	into	
	(b) Name of the country or territory in which AE	
	(s) is located.	
	(c) Whether country or territory is a no tax or	
	low tax country or territory as defined in	
	rule 10TA.	
	(d) Description of the eligible international	
	transaction	
	(e) Amount received for the services provided	
	(f) Operating profit margin in relation to	
	operating expense declared	
	(g) Whether transfer price is in accordance with	
	the circumstances specified under rule 10TD	Yes/No
ļ		
3.	Has the eligible assessee entered into any	Yes/No
	international transaction in respect of the provision	
	of knowledge processes outsourcing services	
	referred to in item (iii) of rule 10TC?	
	If Yes, provide the following details*:	
	(a) Name and address of the associated	•
	enterprises with whom the eligible	
	international transaction has been entered	
ш		

4.	into  (b) Name of the country or territory in which AE (s) is located.  (c) Whether country or territory is a no tax or low tax country or territory as defined in rule 10TA.  (d) Description of the eligible international transaction  (e) Amount received for the services provided  (f) Operating profit margin in relation to operating expense declared.  (g) Whether transfer price is in accordance with the circumstances specified under rule 10TD  Has the eligible assessee advanced intra-group loans as referred to in item (iv) of rule 10TC?	Yes/No Yes/No
	If Yes, provide the following details*:  (a) Name and address of the associated enterprises with whom the eligible international transaction has been entered into  (b) Name of the country or territory in which AE (s) is located.  (c) Whether country or territory is a no tax or low tax country or territory as defined in rule 10TA.  (d) Description of the eligible international transaction  (e) The rate at which interest has been charged in respect of each lending  (f) Whether transfer price is in accordance with the circumstances specified under rule 10TD	Yes/No
5.	Has the eligible assessee provided corporate guarantee(s) as referred to in item (v) of rule 10TC?  If Yes, provide the following details*:  (a) Name and address of the associated enterprises with whom the eligible international transaction has been entered into  (b) Name of the country in which AE (s) is located.  (c) Whether country or territory is a no tax or low tax country or territory as defined in	Yes/No

	rule 10TA. (d) Description of the eligible international	
	transaction (e) The rate at which the commission or fee has	
	been charged in respect of the transaction declared	
	(f) Whether AE is required to be credit rated, if yes, the credit rating and the name of rating	
	agency	
	(g) Whether transfer price is in accordance with the circumstance specified under rule 10TD	Yes/No
6.	Has the eligible assessee entered into any	Yes/No
	international transaction in respect of the provision of contract research and development services	
	wholly or partly relating to software development services as referred to in item (vi) of rule 10TC?	
	If Yes, provide the following details*:	
	(a) Name and address of the associated enterprises (AE) with whom the eligible	
	international transaction has been entered into.	
	(b) Name of the country or territory in which AE (s) is located.	
	(c) Whether country or territory is a no tax or low tax country or territory as defined in	
	rule 10TA.	
	<ul><li>(d) Description of the eligible international transaction.</li></ul>	
	<ul><li>(e) Amount received for the services provided.</li><li>(f) Operating profit margin in relation to</li></ul>	·
	operating expense declared. (g) Whether transfer price is in accordance with	Yes/No
	the circumstances specified under rule 10TD	
7.	Has the eligible assessee entered into any international transaction in respect of the provision	Yes/No
	of contract research and development services	
	wholly or partly relating to generic pharmaceutical drugs as referred to in item (vii) of rule 10TC?	ļ
	If Yes, provide the following details*:	
	(a) Name and address of the associated enterprises (AE) with whom the eligible	
L	international transaction has been entered	

		<del></del>
	<ul> <li>into.</li> <li>(b) Name of the country or territory in which AE (s) is located.</li> <li>(c) Whether country or territory is a no tax or low tax country or territory as defined in rule 10TA.</li> <li>(d) Description of the eligible international transaction.</li> <li>(e) Amount received for the services provided.</li> <li>(f) Operating profit margin in relation to operating expense declared.</li> <li>(g) Whether transfer price is in accordance with the circumstance specified under rule 10TD</li> </ul>	Yes/No
8.	Has the eligible assessee entered into any international transaction in respect of manufacturing and export of core auto components as referred to in item (viii) of rule 10TC?	Yes/No
	If Yes, provide the following details*:  (a) Name and address of the associated enterprises (AE) with whom the eligible international transaction has been entered into.  (b) Name of the country or territory in which AE (s) is located.  (c) Whether country or territory is a no tax or low tax country or territory as defined in rule 10TA.	
	<ul> <li>(d) Description of the eligible international transaction.</li> <li>(e) Amount received or receivable in relation to such transaction.</li> <li>(f) Operating profit margin in relation to operating expense declared.</li> <li>(g) Whether transfer price is in accordance with the circumstance specified under rule 10TD.</li> </ul>	Yes/No
9.	Has the eligible assessee entered into any international transaction in respect of manufacturing and export of non-core auto components as prescribed in item (ix) of rule 10TC?	Yes/No
	If Yes, provide the following details*:  (a) Name and address of the associated enterprises (AE) with whom the eligible international transaction has been entered	

into.

- (b) Name of the country or territory in which AE (s) is located.
- (c) Whether country or territory is a no tax or low tax country or territory as defined in rule 10TA.
- (d) Description of the eligible international transaction.
- (e) Amount received or receivable in relation to such transaction.
- (f) Operating profit margin in relation to operating expense declared.
- (g) Whether transfer price is in accordance with the circumstance specified under rule 10TD.

Yes/No

I declare that to the best of my knowledge and belief, the information furnished herein is correct and truly stated.

Yours faithfully,

Place:

Date:

Signature Name Designation/Capacity Address

#### Notes:

- # Details of the assessee as per rule 10TB to be provided.
- \* Details for the relevant assessment year or first of the relevant assessment years, as the case may be, to be provided.
  - Particulars of each eligible international transaction should be reported separately along with transfer price declared.
  - The application should be signed by the person authorised to sign the return of income under section 140.'.

Notification No. 73 /2013 [F.No. 142/28/2013-TPL]

Ashish Kumar-

Director to the Government of India

Note: - The principal rules were published in the Gazette of India *vide* notification No. S.O. 969(E), dated the 26<sup>th</sup> March, 1962 and were last amended *vide* notification number S.O. 2668(E), dated the 04.09.2013.

# [भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार वित्त मंत्रालय राजस्य विभाग (केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 18 सितम्बर, 2013

#### आय-कर

का.आ. (अ).- केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की घारा 295 के साथ पिटत धारा 92गख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्:-

- **16 वा** 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (......संशोधन) नियम, 2013 है ।
  - (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।
- 2. आय-कर नियम, 1962 में,-
- (क) भाग 2 के विशेष मामले से संबंधित उप-भाग घ में, नियम 10न के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

# 'सुरक्षित आश्रय नियम

10नक. परिभाषाएं - इस नियम और नियम 10नख से नियम 10नछ के प्रयोजन के लिए,-

- (क) "सॉफ्टवेयर विकास से संबंधित पूर्णतः या भागतः संविदा अनुसंधान और विकास सेवाएं" से निम्नलिखित अभिप्रेत है, अर्थात् :-
  - (i) सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में नई प्रमेय या विधि विशेष उत्पन्न करने के लिए अनुसंधान और विकास ;
  - (ii) प्रचालन प्रणाली क्रमादेश भाषा, आंकड़ा प्रबंधन, संचार प्रक्रिया सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर विकास. औजारों के स्तर पर सूचना प्रौद्योगिकी का विकास ;
  - (iii) इंटरनेट प्रौद्योगिकी का विकास ;
  - (iv) सॉफ्टवेयर अभिकल्पना करने, विकास करने, तैनात करने या अनुरक्षण करने की पद्धति में अनुसंधान ;
  - (v) सॉफ्टवेयर विकास जिसमें सूचना को प्रग्रहण करने, संचरण करने, भंडारण करने, पुनर्प्राप्त करने, प्रकलित करने या प्रदर्शित करने के लिए जनक की पहुंच में उत्पाद को उन्नत करना ;
  - (vi) जिसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी ज्ञान के अंतर को पूर्ण करने के उद्देश्य से प्रयोगात्मक विकास जैसे किसी सॉफ्टवेयर क्रमादेश या प्रणाली के विकास के लिए आवश्यक हो ;
  - (vii) प्रग्रहण, प्रतिबिंब, प्रसंस्करण, भौगोलिक आंकड़े प्रस्तुतिकरण, संप्रतीक पहचान, कृत्रिम बुद्धि और ऐसे अन्य क्षेत्रों में विशेषज्ञ सॉफ्टवेयर साधनों पर अनुसंधान और विकास ; या
  - (viii) विद्यमान उत्पादों का विकास जहां स्रोत कोड प्रमुख द्वारा उपलब्ध कराया गया है ;
- (ख) "क्रोड आटो संघटक" से अभिप्रेत है,-

- (i) इंजन और उसके पुर्जे जिसके अंतर्गत पिस्टन और पिस्टन रिंग, इंजन बाल्ब तथा शीतलन प्रणाली के भाग और शक्ति ट्रेड संघटकों के पुर्जे ;
- (ii) संचरण और चालन पुर्जे जिसके अंतर्गत गियर, पहिए, चालन प्रणाली, धुरी और क्लच ;
- (iii) निलंबन और आरोध पुर्जे, जिसके अंतर्गत आरोध, समंजन, आरोध आरेखन, धक्का-सह और पर्ण कमानी ;
- (ग) 'निगमित प्रत्याभूति' से सुस्पष्ट निगमित प्रत्याभूति किसी लघु अवधि या दीर्घ अवधि उघार के संबंध में किसी गैर निवासी द्वारा इसके पूर्णतः स्वमित्व की सहायिकी को किसी कंपनी द्वारा विस्तारित सुस्पष्ट निगमित प्रत्याभूति अभिप्रेत है :

स्पष्टीकरण.- इस खंड के प्रयोजन के लिए, सुस्पष्ट निगमित प्रत्यामूति के अंतर्गत सांत्वना का पत्र, आलिप्त निगमित प्रत्याभूति, अनुपालन प्रत्याभूति या समान प्रकृति की कोई अन्य प्रत्याभूति सम्मिलित नहीं होंगी ।

- (घ) "प्रजातिगत भेषजीय ओषधि" से कोई ओषधि अभिप्रेत है जिसमें मात्रा, क्षमता, ओषधि देने की रीति, क्वालिटी और पालन का रक्षण तथा उसका आशयित उपयोग विनियामक प्राधिकरण द्वारा पहले से ही अनुमोदित किसी ओषधि से तुलनात्मक है ;
- (ङ) "सूचना प्रौद्योगिकी समर्थ सेवाएं" से सूचना प्रौद्योगिकी में सहायक या उपयोग के साथ निम्नलिखित मुख्यतः कारबार प्रक्रिया बाह्य स्रोत सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है, अर्थात् :-
  - (i) सहायक कार्यालय प्रचालन ;
  - (ii) आह्वान केन्द्रों या संपर्क केन्द्र सेवाएं ;
  - (iii) आकंड़ा प्रसंस्करण और आंकड़ा निकालना ;
  - (iv) बीमा दावा प्रसंस्करण ;
  - (v) आंकड़ा संचय;
  - (vi) चिकित्सा सलाह को छोड़कर चिकित्सा प्रतिलेखन का सूजन और उसका अनुरक्षण ;
  - (vii) अनुवाद सेवाएं ;
  - (viii) वेतन चिट्ठा ;
  - (ix) दूरस्थ अनुरक्षण ;
  - (x) राजस्व लेखा ;
  - (xi) समर्थन केन्द्र ;
  - (xii) वेबसाइट सेवाएं ;
  - (xiii) आंकड़ा खोज एकीकरण और विश्लेषण ;
  - (xiv) शिक्षा विषयवस्तु विकास को छोड़कर दूरस्थ शिक्षा ; या
  - (xv) नैदानिक परीक्षण को छोड़कर नैदानिक आंकड़ा संचय प्रबंध सेवाएं,

किन्तु जिसमें कोई अनुसंधान या विकास सेवाएं चाहे वह संविदा अनुसंधान और विकास सेवाएं हैं या नहीं, सम्मिलित नहीं होंगे !

- (च) अंतःसमूह उधार से किसी गैर निवासी द्वारा पूर्ण स्वामित्व सहायिकी को अग्रिम उधार अभिप्रेत है, जहां उधार -
  - (i) स्रोत भारतीय रूपए में है ;

- (ii) किसी उद्यम के, किसी वित्तीय कंपनी होने के कारण जिसके अंतर्गत कोई बैंक या कोई वित्तीय संस्थान या कोई उद्यम कारबार के सामान्य अनुक्रम में उधार देने या उधार लेने में लगा है, द्वारा कोई अग्रिम नहीं है ; और
- (iii) जिसके अंतर्गत कोई जमा रेखा या कोई अन्य उधार सुविधा नहीं है जिसमें पुनर्सदाय के लिए नियत अविध नहीं है :
- (छ) "ज्ञान प्रक्रिया बाह्य स्रोत सेवाए" से निम्नलिखित कारबार प्रक्रिया बाह्य स्रोत सेवाएं अभिप्रेत हैं जिसमें मुख्यतः सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता या उपयोग से ज्ञान के अनुप्रयोग और उन्नत विश्लेषणात्मक और तकनीकी कौशल अपेक्षित हैं, अर्थात :-
  - (i) भौगोलिक जानकारी प्रणाली ;
  - (ii) मानव संसाधन सेवाएं ;
  - (iii) इंजीनियरी और डिजाइन सेवाएं ;
  - (iv) अनुप्राणित या विषयवस्तु विकास और प्रबंध ;
  - (v) कारबार विश्लेषण ;
  - (vi) वित्तीय विश्लेषण; या
  - (vii) बाजार अनुसंधान,

किन्तु जिसमें कोई अनुसंधान या विकास सेवाएं चाहे वह संविदा अनुसंधान और विकास सेवाएं हैं या नहीं, सम्मिलित नहीं होंगे ।

- (ज) "गैर क्रोड ऑटो संघटक" से क्रोड ऑटो संघटकों से मिन्न आटो संघटक अभिप्रेत है ;
- (झ) "गैर कर या निम्न कर देश या राज्यक्षेत्र" से कोई देश या राज्यक्षेत्र अभिप्रेत है जिसमें पंद्रह प्रतिशत से कम आय-कर की अधिकतम दर है ;
- (ञ) "प्रचालन व्यय" से इसके सामान्य प्रचालन के अनुक्रम में अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में निर्धारिती द्वारा पूर्व वर्ष में कारित लागत् अभिप्रेत है जिसके अंतर्गत निर्धारिती द्वारा प्रयोग की गई आस्तियों से संबंधित अवक्षयण और अपाकरण व्यय हैं किन्तु जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित नहीं होंगे, अर्थात् :-
  - (i) ब्याज व्यय ;
  - (ii) गैर सुनिश्चित दायित्वों के लिए उपबंध ;
  - (iii) पूर्व प्रचालन व्यय ;
  - (iv) विदेशी मुद्रा उतार-चढाव के मद्दे उत्पन्न हानि ;
  - (v) असाधारण व्यय ;
  - (vi) आस्तियों या निवेश के अंतरण पर हानि ;
  - (vii) आयकर के मद्दे व्यय , और
  - (viii) अन्य व्यय जो निर्धारिती के सामान्य प्रचालन से संबंधित नहीं है ;
- (ट) "प्रचालन राजस्व" से इसके सामान्य प्रचालन के अनुक्रम में अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में निर्धारिती द्वारा पूर्व वर्ष में कारित अर्जित राजस्व अभिप्रेत है किन्तु जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित नहीं होंगे, अर्थात् :-
  - (i) ब्याज आय;
  - (ii) विदेशी मुद्रा उतार-चढाव के मद्दे उत्पन्न आय ;

- (iii) आस्तियों या निवेश के अंतरण पर आय ;
- (iv) आय-कर से संबंधित प्रतिदाय ;
- (v) लिखित वापसी उपबंध ;
- (vi) असाधारण आय ; और
- (vii) अन्य आय जो निर्धारिती के सामान्य प्रचालन से संबंधित नहीं है ;
- (ठ) "प्रचालन लाभ अंतर" से प्रतिशतता के निबंधनों में व्यक्त प्रचालन व्यय को प्रचालन व्यय के अधिक में प्रचालन व्यय के अधिकता में प्रचालन राजस्व होने पर प्रचालन लाभ का अनुपात से अभिप्रेत है ;
- (ड) "सॉफ्टवेयर विकास सेवाओं" से,-
- (i) ज्ञात पद्धतियों और विद्यमान साफ्टवेयर साधन का उपयोग से कारबार अनुप्रयोग साफ्टवेयर और सूचना प्रणाली विकास :
  - (ii) विद्यमान प्रणालियों के लिए समर्थन ;
  - (iii) कंप्यूटर भाषा को प्रत्यावर्तित या अनुवाद करना ;
  - (iv) अनुप्रयोग कार्यक्रमों में प्रयोगकर्ता के कृत्यों को जोड़ना ;
  - (v) प्रणालियों का दोषमार्जन;
  - (vi) विद्यमान सॉफ्टवेयर को ग्रहण करना ;
  - (vii) प्रयोगकर्ता के प्रलेखन की तैयारी,

किन्तु जिसमें कोई अनुसंधान या विकास सेवाएं चाहे वह संविदा अनुसंधान और विकास सेवाएं हैं या नहीं, सम्मिलित नहीं होंगी ।

10नख पात्र निर्धारिती.- (1) उपनियम (2) और उपनियम (3) के उपबंधों के अधीन, "पात्र निर्धारिती" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने नियम 10नङ के अनुसार सुरक्षित आश्रय नियमों को लागू करने के लिए विधिमान्य विकल्प का प्रयोग किया है, और -

- (i) वह किसी अनिवासी सहबद्ध उद्यम (जिसे इसमें इसके पश्चात् विदेशी प्रमुख कहा गया है) को महत्वहीन जोखिम के साथ साफ्टवेयर विकास सेवाएं या सूचना प्रौद्योगिकी समर्थ सेवाएं या ज्ञान प्रक्रिया बाह्य स्रोत सेवाएं उपलब्ध कराने में लगा हुआ है ;
- (ii) उसने कोई अंतरासमूह ऋण लिया है ;
- (iii) उसने कोई निगमित प्रत्याभूति प्रदान की है ;
- (iv) वह किसी विदेशी प्रमुख को महत्वहीन जोखिम के साथ साफ्टवेयर विकास से संबंधित संविदा अनुसंधान और विकास सेवाएं पूर्णतः या भागतः उपलब्ध कराने में लगा हुआ है ;
- (v) वह किसी विदेशी प्रमुख को महत्वहीन जोखिम के साथ जनक भेषज ओषधियों से संबंधित संविदा अनुसंधान और विकास सेवाएं पूर्णतः या भागतः उपलब्ध कराने में लगा हुआ है ;
- (vi) वह क्रोड या गैर क्रोड आटो संघटकों के विनिर्माण और निर्यात में लगा हुआ है और जहां सुसंगत पूर्ववर्ष के दौरान कुल आवर्त का नब्बे प्रतिशत या अधिक मूल उपस्कर विनिर्माता विक्रय की प्रकृति का है।
- (2) उपनियम (1) की मद (i) में निर्दिष्ट महत्वहीन जोखिम वाले पात्र निर्धारिती की पहचान करने के प्रयोजन के लिए, यथारिथति, निर्धारण अधिकारी या अंतरण मूल्य अधिकारी निम्नलिखित कारकों का ध्यान रखेगा, अर्थात् :-
  - (क) विदेशी प्रमुख अंतवर्लित अधिकत्तर आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण कृत्य करता है, जिसके अंतर्गत मुख्य कृत्य जैसे उत्पाद की संकल्पना और अभिकल्पन और या तो स्वयं अपने कर्मचारिवृंदों के माध्यम से या

इसके अन्य सहबद्ध उद्यमों के माध्यम से रणनीतिक निदेश और ढांचा प्रदान कराना भी है, जब कि पात्र निर्धारिती उसे विदेशी प्रमुख द्वारा समनुदेशित कार्य करता है ;

- (ख) पूंजी और निधि तथा अन्य आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण आस्तियां, जिसके अंतर्गत अपेक्षित अमूर्त आस्तियां भी हैं, विदेशी प्रमुख या उसके अन्य सहबद्ध उद्यम (उद्यमों) द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं और पात्र निर्धारिती की केवल उसके द्वारा किए गए कार्य के लिए पारिश्रमिक प्रदान किया जाता है ;
- (ग) पात्र निर्धारिती विदेशी प्रमुख या उसके सहबद्ध उद्यम के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करता है जिसके पास न केवल नियंत्रण या पर्यवेक्षण का सामर्थ्य है बल्कि मुख्य कृत्यों के साथ-साथ नियमित आधार पर क्रियाकलापों को मानीटर करके उसके रणनीतिक विनिश्चयों के माध्यम से क्रियाकलापों को वास्तविक रूप से नियंत्रित या पर्यवेक्षित भी करता है:
- (घ) पात्र निर्धारिती किसी आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण जोखिम की उपधारण नहीं करता है या उसे ऐसा जोखिम नहीं है और यदि कोई संविदा यह दर्शित करती है कि विदेशी प्रमुख किसी जोखिम को नियंत्रित करने के लिए बाध्य है किन्तु आचरण यह दर्शित करता है कि पात्र निर्धारिती ऐसा कर रहा है, तो संविदात्मक निबंधन अंतिम निर्धारक नहीं होंगे;
- (ङ) पात्र निर्धारिती को सृजित किसी अमूर्त आस्ति पर या सेवाएं प्रदान करने के दौरान सृजित या उद्भूत किसी अमूर्त आस्ति के फल पर कोई विधिक या आर्थिक स्वामित्व अधिकार नहीं है, जो विदेशी प्रमुख में निहित है, जैसा कि संविदा तथा पक्षकारों के आचरण से साबित होता है।
- (3) उपनियम (1) की मद (iv) और मद (v) में निर्दिष्ट महत्वहीन जोखिम वाले पात्र निर्धारिती की पहचान करने के प्रयोजन के लिए, यथास्थिति, निर्धारण अधिकारी या अंतरण मूल्य अधिकारी निम्नलिखित कारकों का ध्यान रखेगा, अर्थात् :--
  - (क) विदेशी प्रमुख अनुसंधान या उत्पाद विकास चक्र में अंतवर्लित अधिकतर आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण कृत्य करता है, जिसके अंतर्गत मुख्य कृत्य जैसे उत्पाद की संकल्पना और अभिकल्पन और या तो स्वयं अपने कर्मचारिवृंदों के माध्यम से या इसके अन्य सहबद्ध उद्यमों के माध्यम से रणनीतिक निदेश और ढांचा प्रदान कराना भी है, जब कि पात्र निर्धारिती उसे विदेशी प्रमुख द्वारा समनुदेशित कार्य करता है;
  - (ख) पूंजी या निधि तथा अन्य आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण आस्तियां, जिसके अंतर्गत अनुसंधान या उत्पाद विकास के लिए अपेक्षित अमूर्त आस्तियां भी हैं, विदेशी प्रमुख या उसके अन्य सहबद्ध उद्यम (उद्यमों) द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं और पात्र निर्धारिती को केवल उसके द्वारा किए गए कार्य के लिए पारिश्रमिक प्रदान किया जाता है:
  - (ग) पात्र निर्धारिती विदेशी प्रमुख या उसके सहबद्ध उद्यम के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करता है जिसके पास न केवल नियंत्रण या पर्यवेक्षण का सामर्थ्य है बल्कि मुख्य कत्यों के साथ-साथ नियमित आधार पर क्रियाकलाएों को मानीटर करके उसके रणनीतिक विनिश्चयों के माध्यम से क्रियाकलायों को वास्तविक रूप से नियंत्रित या पर्यवेक्षित भी करता है;
  - (घ) पात्र निर्धारिती किसी आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण जोखिम की उपधारण नहीं करता है या उसे ऐसा जोखिम नहीं है और यदि कोई संविदा यह दर्शित करती है कि विदेशी प्रमुख किसी जोखिम को नियंत्रित करने के लिए बाध्य है किन्तु आचरण यह दर्शित करता है कि पात्र निर्धारिती ऐसा कर रहा है, तो संविदात्मक निबंधन अंतिम निर्धारक नहीं होंगे;
  - (ङ) पात्र निर्धारिती को अनुसंधान के फल पर कोई विधिक या आर्थिक स्वामित्व अधिकार नहीं है, जो विदेशी प्रमुख में निहित है, जैसा कि संविदा तथा पक्षकारों के आचरण से साबित होता है !

10नग. पात्र अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार.- "पात्र अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार" से पात्र निर्धारिती और इसके सहबद्ध उद्यम के बीच अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार अभिप्रेत है, जिसमें से एक या दोनों अनिवासी हैं और जो निम्नलिखित से मिलकर बना है:

(i) साफ्टवेयर विकास सेवाओं का उपबंध ;

- (iii) ज्ञान प्रक्रिया बाह्य स्रोत सेवाओं का उपवंध ;
- (iv) अंतरासमूह ऋण देना ;
- (v) निगमित प्रत्याभूति का उपबंध, जहां प्रत्याभूति दी गई रकम,-
  - (क) एक हजार करोड़ रुपये से अधिक नहीं है : या
  - (ख) एक हजार करोड़ रुपये से अधिक है, और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड में रिजस्ट्रीकृत किसी अभिकरण द्वारा की गई सहबद्ध उद्यम की क्रेडिट रेटिंग उच्चतम सुरक्षा के लिए पर्याप्त है:
- (vi) संविदा अनुसंधान और विकास सेवाओं का उपबंध पूर्णतः या भागतः साफ्टवेयर विकास से संबंधित है ;
- (vii) संविदा अनुसंधान और विकास सेवाओं का उपबंध पूर्णतः या भागतः जनक भेषज ओषधियों से संबंधित है ;
- (viii) क्रोड आटो संघटकों का विनिर्माण और निर्यात ; या
- (ix) पात्र निर्धारिती द्वारा गैर क्रोड आटो संघटकों का विनिर्माण और निर्यात ।

10नम्. सुरक्षित आश्रय.-(1) जहां पात्र निर्धारिती ने पात्र अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार किया है और उक्त निर्धारिती द्वारा प्रयुक्त विकल्प नियम 10नङ के अधीन अविधिमान्य नहीं ठहराया जाता, ऐसे संव्यवहार के संबंध में निर्धारिती द्वारा घोषित अंतरण मूल्य आय-कर प्राधिकारी द्वारा स्वीकार किया जाएगा, यदि यह उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट परिस्थितियों के अनुसार है।

(2) नीचे सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट पात्र अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में उपनियम (1) में निर्दिष्ट परिस्थितियां उक्त सारणी के स्तंभ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट होंगी:--

	1 /	
क्र.संव	पात्र अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार	परिस्थितियां
(1)	. (2)	- (3)
1.	नियम 10नग की मद (i) में निर्दिष्ट सॉफ्टवेयर विकास सेवाओं के उपबंध ।	उपगत प्रचालन व्यय के संबंध में पात्र अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार से पात्र निर्धारिती द्वारा घोषित प्रचालन लाम निम्नलिखित है-
ļ		(i) 20 प्रतिशत से अनधिक, जहां पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान प्रविष्टि ऐसे संव्यवहारों का कुल मूल्य पांच हजार करोड़ रुपये से अधिक न हो ; या
		(ii) 22 प्रतिशत से अनधिक, जहां पूर्ववती वर्ष के दौरान प्रविष्ट ऐसे संव्यवहार का कुल मूल्य पांच हजार करोड़ रुपये से अधिक है।
2.	नियम 10नग की मद (ii) में निर्दिष्ट सॉफ्टवेयर विकास सेवाओं के उपबंध I	प्रचालन व्यय के संबंध में पात्र अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार से पात्र निर्धारिती द्वारा घोषित प्रचालन लाभ निम्नलिखित है- (i) 20 प्रतिशत से अनधिक, जहां पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान प्रविष्टि ऐसे संव्यवहारों का
		क दारान प्रावाब्द एस सव्यवहारा का कुल मूल्य पांच हजार करोड़ रुपये से

r		
<b>\</b>	}	अधिक न हो ; या
		(ii) 22 प्रतिशत से अनिधक, जहां पूर्ववती वर्ष के दौरान प्रविष्ट ऐसे संव्यवहार का कुल मूल्य पांच हजार करोड़ रुपये से अधिक है।
3.	नियम 10नग की मद (iii) में निर्दिष्ट सॉफ्टवेयर विकास सेवाओं के उपबंध !	प्रचालन व्यय के संबंध में पात्र अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार से पात्र निर्धारिती द्वारा घोषित प्रचालन लाभ 25 प्रतिशत से अधिक नहीं है ।
4.	नियम 10नग की मद (iv) में निर्दिष्ट अंतःसमूह ऋणों को आगे बढ़ाना जब ऋण की रकम 50 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होती है।	ब्याज की दर सुसंगत पूर्ववर्ती वर्ष की 30 जून को भारतीय स्टेट बैंक की आधारिक दर से कम नहीं है धन 150 आधारिक प्वाइंट।
5.	नियम 10नग की मद (iv) में निर्दिष्ट अंतःसमूह ऋणों को आगे बढ़ाना जब ऋण की रकम 50 करोड़ रुपए से अधिक होती है।	पात्र अंतरराष्ट्रीय संव्यवहारों के संबंध में घोषित ब्याज की दर सुसंगत पूर्ववर्ती वर्ष की 30 जून को भारतीय स्टेट बैंक की आधारिक दर से कम नहीं है धन 300 आधारिक प्वाइंट ।
6.	नियम 10नग की मद (v) की उपमद (क) में निर्दिष्ट निगम प्रतिभूति का उपबंध करना ।	पात्र अंतरराष्ट्रीय संव्यवहारों के संबंध में घोषित कमीशन या फीस प्रतिभूत रकम पर प्रतिवर्ष 2 प्रतिशत या कम दर पर है ।
7.	नियम 10नग की मद (v) की उपमद (ख) में निर्दिष्ट निगम प्रतिभूति का उपबंध करना !	पात्र अंतरराष्ट्रीय संव्यवहारों के संबंध में घोषित कमीशन या फीस प्रतिभूत रकम पर प्रतिवर्ष 1.75 प्रतिशत या कम दर पर है ।
8.	नियम 10नग की मद (vi) में निर्दिष्ट साफ्टवेयर के विकास से पूर्णतः या भागतः संबंधित संविदा अनुसंधान और विकास सेवाओं का उपबंध ।	पात्र निर्धारिती द्वारा पात्र अंतरराष्ट्रीय संव्यवहारों से उपगत प्रचालन व्ययों के संबंध में घोषित प्रचालन लाभ मार्जिन 30 प्रतिशत से कम नहीं है।
9.	नियम 10नग की मद (vii) में निर्दिष्ट सामान्य भेषीय औषधियों से पूर्णतः या भागतः संबंधित संविदा अनुसंधान और विकास सेवाओं का उपबंध ।	पात्र निर्धारिती द्वारा पात्र अंतरराष्ट्रीय संव्यवहारों से उपगत प्रचालन व्यथों के संबंध में घोषित प्रचालन लाभ मार्जिन 29 प्रतिशत से कम नहीं है।
10.	नियम 10नग की मद (viii) में निर्दिष्ट कोर ऑटो संघटकों का विनिर्माण और निर्यात ।	पात्र निर्धारिती द्वारा पात्र अंतरराष्ट्रीय संव्यवहारों से उपगत प्रचालन व्ययों के संबंध में घोषित प्रचालन लाभ मार्जिन 12 प्रतिशत से कम नहीं है ।
11.	नियम 10नग की मद (ix) में निर्दिष्ट गैर कोर ऑटो संघटकों का विनिर्माण और निर्यात (	पात्र निर्धारिती द्वारा पात्र अंतरराष्ट्रीय संव्यवहारों से उपगत प्रचालन व्ययों के संबंध में घोषित प्रचालन लाभ मार्जिन 8.5 प्रतिशत से कम नहीं है।

<sup>(3)</sup> उपनियम (1) और उपनियम (2) के उपबंध निर्धारण वर्ष 2013-14 और निर्धारण वर्ष के तुरंत पश्चात्वर्ती 4 निर्धारण वर्षों को लागू होंगे ।

<sup>(4)</sup> धारा 92ग की उपधारा (2) के दूसरे परंतुक के अधीन पात्र निर्धारिती द्वारा घोषित अंतरण कीमत का कोई सदृश्यता समायोजन और मोक नहीं किया जाएगा और पूर्वोक्त उपनियम (1) और उपनियम (2) के अधीन स्वीकार

# नहीं किया जाएगा।

- (5) किसी अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में धारा 92घ और धारा 92ड़ के उपबंध इस तथ्य के होते हुए भी कि निर्धारिती ने ऐसे संव्यवहारों के संबंध में सुरक्षित सश्रय के विकल्प का प्रयोग किया है, लागू होंगे ।
- 10नङ प्रक्रिया.- (1) सुरक्षित सश्रय के विकल्प के प्रयोग के प्रयोजनों के लिए, निर्धारण अधिकारी को, निर्धारिती आय-कर विवरणी प्रस्तुत करने के लिए धारा 139 की उपधारा (1) के नीचे स्पष्टीकरण 2 में विनिर्दिष्ट नियत तारीख से पूर्व सभी परिप्रेक्ष्यों में पूर्ण प्ररूप निम्नलिखित के लिए, 3गडचक प्रस्तुत करेगा-
  - (i) सुसंगत निर्धारण वर्ष यदि विकल्प का प्रयोग केवल उस निर्धारण वर्ष के लिए किया गया है ; या
  - (ii) निर्धारण वर्षों के पहले वर्ष के लिए यदि विकल्प का प्रयोग एक से अधिक निर्धारण वर्ष के लिए किया गया है:

परंतु यह कि, यथास्थिति, सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए या सुसंगत निर्धारण वर्षों के लिए निर्धारिती द्वारा आय-कर विवरणी प्ररूप 3गड़चक प्रस्तुत करने की तारीख को या उसके पूर्व प्रस्तुत की जाएगी ।

(2) वैध रूप से प्रयोग किया गया सुरक्षित सश्रय का विकल्प प्ररूप 3गड़चक में विनिर्दिष्ट अवधि या पांच वर्ष की अवधि के लिए, जो भी कम हो, प्रवृत्त रहेगा :

परंतु यह कि आरंभिक निर्धारण वर्ष के पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्ष या वर्षों के संबंध में निर्धारण अधिकारी को उस वर्ष की आय-कर की विवरणी प्रस्तुत करने से पूर्व पात्र संव्यवहारों, उनकी मात्रा, लाभ के मार्जिन या उपदर्शित ब्याज की दर या कमीशन को दर्शाते हुए एक विवरणी प्रस्तुत करेगा:

परंतु यह और कि प्रारंभिक निर्धारण वर्ष के पश्चात् किसी निर्धारण वर्ष के संबंध में सुरक्षित सश्रय का विकल्प प्रवृत्त नहीं रहेगा, यदि -

- (i) सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए विकल्प को निर्धारिती द्वारा यथास्थिति, अंतरण कीमत अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध आक्षेप फाइल करने पर अंतरण कीमत अधिकारी द्वारा उपनियम (11) के अधीन या आयुक्त द्वारा उपनियम (8) के अधीन अवैध निर्धारित कर दिया जाता है; या
- (ii) पात्र निर्धारिती सुरक्षित सश्रय के विकल्प को सुसंगत निर्धारण वर्षों के लिए निर्धारण अधिकारी को इस निमित्त एक घोषणा प्रस्तुत करके छोड़ देता है।
- (3) प्ररूप 3गड़चक की प्राप्ति पर निर्धारण अधिकारी निर्धारिती के सुरक्षित सश्रय के विकल्प को वैध रूप से प्रयोग किया गया भानने से पूर्व सत्यापन करेगा कि क्या —
  - (i) क्या विकल्प का प्रयोग करने वाला निर्धारिती कोई पात्र निर्धारिती है; और
  - (ii) जिस संव्यवहार के विषय में विकल्प का प्रयोग किया जा रहा है क्या वह पात्र अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार है I
- (4) जहां निर्धारण अधिकारी किसी निर्धारिती के सुरक्षित सश्रय के विकल्प के प्रयोग के वैध होने पर संदेह करता है तो वह निर्धारिती की पात्रता या अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या दोनों के सुरक्षित सश्रय के प्रयोजन के लिए अवधारण के लिए अंतरण कीमत अधिकारी को निर्देश करेगा।
- (5) उपनियम (4) और उपनियम (10) के प्रयोजन के लिए कीमत अंतरण अधिकारी लिखित सूचना द्वारा निर्धारिती से ऐसी सूचना या दस्तावेज या अन्य साक्ष्य प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा जैसाकि वह आवश्यक समझे और निर्धारिती पुनः ऐसी सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रस्तुत करेगा।

- (6) जहां-
- कीमत अंतरण अधिकारी द्वार अपेक्षित सूचना या दस्तावेजों या अन्य साक्ष्य को निर्धारिती प्रस्तुत नहीं करता है; भ
- (ख) अंतरण कीमत अधिकारी पाता है कि निर्धारिती पात्र निर्धारिती महीं है; या
- (ग) अंतरण कीमत अधिकारी पाता है कि वह अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार जिसकी बाबत उपनियम (1) में निर्दिष्ट विकस्य का प्रयोग किया गया है एक पात्र अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार नहीं है,

अवैध घोषित कर देगा और उक्त आदेश की एक प्रति की तामील निर्धारिती और निर्धारण अधिकारी को करना पारित तो अंतरण कीमत अधिकारी लिखित आदेश द्वारा उपनियम (1) के अधीन निर्धारिती द्वारा प्रयोग किए गए विकल्प को

यह कि निर्धारिती द्वारा किसी विकल्प को अवैध घोषित करने का कोई आदेश निर्धारिती को सुने जाने का अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जाएगा ।

- कीमत अधिकारी के आदेश पर आक्षेप करता है तो वह आयुक्त के पास जिसका अंतरण कीमत अधिकारी अधीनस्थ है (7) यदि निर्धारिती उपनियम (6) या उपनियम (11) के अधीन किसी विकल्प को अवैध घोषित करने के अंतरण अंतरण अधिकारी के आदेश की प्राप्ति से पंद्रह दिन के भीतर अपने आक्षेपों को फाइल कर सकेगा ।
- निधारिती द्वारा प्रयोग किए गए विकल्प की वैधता के विषय में या अन्यथा समुचित आदेश पारित करेगा और उक्त (8) आयुक्त, उपनियम (7) में निर्दिष्ट आदेशों की प्राप्ति पर निर्धारिती को सुने जाने का अवसर देने आदेश की एक प्रति की निर्धारिती और निर्धारण अधिकारी को तामील करना कारित करेगा ।
- अधिकारी यह सत्यापित करने के लिए अग्रसर होगा कि क्या निर्धारिती द्वारा सुसंगत पात्र अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार उस दशा में, जहां निर्धारिती द्वारा प्रयुक्त विकल्प को विधिमान्य अभिनिर्धारित किया गया है, वहां निर्धारण की बाबत घोषित की गई अंतरण कीमत नियम 10नघ के उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट परिस्थितियों के अनुसार और यदि यह उक्त परिस्थितियों के अनुसार नहीं है तो निर्धारण अधिकारी नियम 10नघ के उपनियम (2) विनिर्दिष्ट प्रचालन लामांतर या ब्याज या कमीशन की दर अंगीकृत करेगा ।
- विकल्प को विधिमान्य अभिनिर्धारित किया गया था और निर्धारण अधिकारी के पास किसी निर्धारिती या उस अवधि के मीतर आने वाले प्रारंभिक निर्धारण वर्ष से भिन्न, जिसके लिए किसी निर्धारिती द्वारा विकल्प का प्रयोग् आधार पर निर्धारिती द्वारा प्रयुक्त वह सुरक्षित बंदरगाह के प्रयोजन के लिए निर्धोरिती या अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या दोनों की पात्रता के अवधारण किया गया था, किसी निर्धारण वर्ष के लिए अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार की पात्रता के बारे में संदेह का कारण है तो जहां पर उन तथ्यों और परिस्थितियों में परिवर्तन हो गया है, जिनके के लिए अंतरण कीमत निर्धारण अधिकारी को निर्देश करेगा ! 9

स्मस्टीकरण- इस उपनियम के प्रयोजन के लिए, तथ्यों और परिस्थितियों में निम्नितिखित सिमिलित हैं

- (क) अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार की बाबत निर्धारिती की फलनीय रूपरेखा ;
- (ख) निर्धारिती द्वारा उठायी गई जोखिम ;
- सारभूत नोली भूमिका को शास्ति करने की बाबत निर्धारिती की अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार संविदात्मक शतें ;
  - 듁 नियम 10मख के उपनियम (2) या उपनियम (3) में यथानिर्दिष्ट निर्धारिती का आचरण 回
    - (ड) अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार की सारभूत प्रकृति ।
- लिखित में आदेश द्वारा, निर्धारिती को सुनवाई का अवसर देने और निर्धारिती तथा निर्धारण अधिकारी पर उक्त आदेश की अंतरण कीमत निर्धारण अधिकारी, उपनियम (10) के अधीन किसी निर्देश की प्राप्ति पर,  $\Xi$

एक प्रति की तामील करवाने के पश्चात् सुसंगत वर्ष के लिए निर्धारिती द्वारा प्रयुक्त विकल्प की विधिमान्यता का या अन्यथा अवधारण करेगा ।

- (12) इस नियम में अंतर्विष्ट कोई बात, पात्र अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार से भिन्न अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार की बाबत धारा 92गक के अधीन निर्धारण अधिकारी की निर्देश करने की शक्ति को प्रभावित नहीं करेगी ।
- (13) जहां पर किसी पात्र निर्धारिती द्वारा उपनियम (1) के अधीन निर्धारिती द्वारा किए गए किसी पात्र अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार की बाबत सुरक्षित बंदरगाह के विकल्प का प्रयोग नहीं किया गया है या निर्धारिती द्वारा प्रयुक्त विकल्प अविधिमान्य अभिनिर्धारित कर दिया गया है, वहां पर ऐसे अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार की बाबत भिन्न कीमत का अवधारण नियम 10घ के उपनियम (2) में यथाविनिर्दिष्ट लाभांतर या ब्याज या कमीशन की दर को ध्यान में रखे बिना धारा 92ग और धारा 92गक के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।
- (14) इस नियम के प्रयोजनों के लिए,-
  - (i) निर्धारण अधिकारी द्वारा उपनियम (4) के अधीन कोई भी निर्देश उस मास की समाप्ति से दो मास की अविध के अवसान के पश्चात् नहीं किया जाएगा जिसमें उसके द्वारा प्ररूप उगडचक प्राप्त किया गया है :
  - (ii) अंतरण कीमत निर्धारण अधिकारी द्वारा उपनियम (6) या उपनियम (11) के अधीन कोई आदेश उस मास की समाप्ति से दो मास की अवधि के अवसान के पश्चात् नहीं किया जाएगा जिसमें उसके द्वारा निर्धारण अधिकारी से यथास्थिति, उपनियम (4) या उपनियम (10) के अधीन निर्देश प्राप्त किया गया है:
  - (iii) आयुक्त द्वारा उपनियम (8) के अधीन आदेश, उस मास की समाप्ति से दो मास की अवधि के भीतर पारित किया जाएगा जिसमें उसके द्वारा उपनियम (7) के अधीन निर्धारिती द्वारा फाइल आक्षेप प्राप्त किया गया है।
- (15) यदि, यथास्थिति, निर्धारण अधिकारी या अंतरण कीमत निर्धारण अधिकारी या आयुक्त उपनियम (14) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर, यथास्थिति, कोई निर्देश नहीं करता है या कोई आदेश पारित नहीं करता है तो निर्धारिती द्वारा प्रयुक्त सुरक्षित बंदरगाह के विकल्प को विधिमान्य माना जाएगा ।
- 10नच. सुरक्षित बंदरगाह नियमों का कितपय मामलों में लागू नहीं होना- नियम 10नक, नियम 10नख, नियम 10नग, नियम 10नघ या नियम 10नड में अंतर्विष्ट कोई बात घारा 94क के अधीन अधिसूचित किसी देश या राज्यक्षेत्र में या किसी कर रहित या कम कर वाले देश या राज्यक्षेत्र में अवस्थित सहयुक्त उद्यम के साथ किए गए पात्र अंतरराष्ट्रीय संव्यवहारों की बाबत लागू नहीं होगी ।
- 10नछ. पारस्परिक करार प्रक्रिया का लागू नहीं होना- जहां पर आय-कर प्राधिकारियों द्वारा धारा 92गख के अधीन किसी पात्र निर्धारिती द्वारा घोषित किसी पात्र अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार में संबंध में अंतरण कीमत स्वीकार की गई है, वहां पर निर्धारिती दोहरे कराधान से बचने के लिए, धारा 90 या धारा 90क में यथानिर्दिष्ट भारत के बाहर किसी देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र के साथ किए गए किसी करार के अधीन पारस्परिक करार प्रक्रिया का अवलंब लेने का हकदार नहीं होगा। ';
- (ख) परिशिष्ट 2 में, प्ररूप सं0 उगड़च के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

# "प्ररुप सं. उगड्चअ (नियम 10 का उप नियम (1) देखें) सुरक्षित आश्रय के चयन के लिए आवेदन

प्रति,
निर्धारण अधिकारी,

महोदय/महोदया,

मैं आयकर नियम, 1962 के नियम 10नक से 10नछ के साथ पठित आयकर अधिनियम की धारा 92गख के अधीन सुरक्षित आश्रय नियम के चयन की प्रस्तावना रखता हूं।

#### 1. सामान्य

- (क) निर्धारिती का पूरा नाम:
- (ख) स्थायी लेखा संख्या:
- (ग) निर्धारिती का पता :
- (घ) निर्धारिती के कारबार या क्रियाकलामों की प्रकृति
- (ङ) प्रास्थिति
- (च) क्या चयन एक निर्धारण वर्ष के लिए है ? हां/नहीं
  - (i) यदि हां, तो निम्नलिखित ब्यौरे उपलब्ध कराएं,--
    - (1) समाप्त पूर्ववर्ती वर्ष
    - (2) निर्धारण वर्ष
    - (3) निर्धारण वर्ष के लिए आय की विवरणी भरने की तारीख
  - (ii) यदि नहीं, तो निम्नलिखित ब्यौरे उपलब्ध कराएं,--
    - (1) निर्धारण वर्ष जिनके लिए विकल्प दिया जा रहा है
    - (2) (1) में वर्णित निर्धारण वर्षों में प्रथम वर्ष के संदर्भ में आय की विवरणी भरने की तारीख

# 2. पात्र अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार

क्रम	पात्र अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार के संदर्भ में विशिष्टियां	टिप्पणियां
सं.	क्या पात्र निर्धारिती ने नियम 10नग के मद (i) में निर्दिष्ट साफ्टवेयर विकास सेवाओं के उपबंधों के संदर्भ में किसी	हां/नहीं
	अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार में भाग लिया है । यदि हां, तो निम्नलिखित ब्यौरे उपलब्ध करे* :	
	(क) उस सहबद्ध उद्यम (सउ) का नाम और पता जिसके साथ पात्र अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार किया गया है। (ख) उस देश या राज्यक्षेत्र का नाम जहां (सउ) अवस्थित हों।	
	(ग) क्या वह देश या राज्यक्षेत्र नियम 10नक में परिभाषित ऐसा देश या राज्य क्षेत्र जहां कर नहीं है या कम है।	

	(ঘ) 'पात्र अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार का वर्णन ।	·
	(ङ) जो सेवाएं दी गई है उनके लिए प्राप्त/प्राप्य	
	रकम ।	
	(च) घोषित प्रचालन व्यय के संबंध में प्रचालन लाभ ।	हां/नहीं
	(छ) क्या हस्तांतरित नियम 10नघ के अधीन विनिर्दिष्ट	
	परिस्थितियों के अनुसार हैं ।	
2.	क्या पात्र निर्धारिती ने नियम 10नग के मद (ii) में निर्दिष्ट	हां/नहीं
	सूचना प्रौद्योगिकी समर्थ सेवाओं के उपलब्ध के संदर्भ में कोई	
	अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार किया है ?	ļ
	यदि हां, तो निम्नलिखित ब्यौरे उपलब्ध करे* :	
	(क) उस सहबद्ध उद्यम (सउ) का नाम और पता	
	जिसके साथ पात्र अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार किया गया	
	है।	
	(ख) उस देश या राज्यक्षेत्र का नाम जहां (सउ)	
	अवस्थित हों ।	
	(ग) क्या वह देश या राज्यक्षेत्र नियम 10नक में	
	परिभाषित ऐसा देश या राज्य क्षेत्र जहां कर नहीं है या	
	कम है।	
	(घ) पात्र अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार का वर्णन ।	
	(ङ) जो सेवाएं दी गई है उनके लिए प्राप्त/प्राप्य	
	रकम ।	
	(च) घोषित प्रचालन व्यय के संबंध में प्रचालन लाभ ।	हां/नहीं
	(छ) क्या हस्तांतरित नियम 10नघ के अधीन विनिर्दिष्ट	
	परिस्थितियों के अनुसार हैं ।	
	ğ .	
3.	क्या पात्र निर्धारिती ने नियम 10नग के मद (iii) में निर्दिष्ट ज्ञान	हां/नहीं
	प्रक्रिया आउटसोर्सिंग सेवाओं के उपलब्ध के संदर्भ में कोई	
	अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार किया है ?	
	यदि हां, तो निम्नलिखित ब्यौरे उपलब्ध करे* :	
	(क) उस सहबद्ध उद्यम (सउ) का नाम और पता	
	जिसके साथ पात्र अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार किया गया	
	है ।	
	(ख) उस देश या राज्यक्षेत्र का नाम जहां (एइ)	
	अवस्थित हों ।	
	(ग) क्या वह देश या राज्यक्षेत्र नियम 10नक में	
	परिभाषित ऐसा देश या राज्य क्षेत्र जहां कर नहीं है या	
	कम है ।	
	(घ) पात्र अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार का वर्णन ।	
	(ङ) जो सेवाएं दी गई है उनके लिए प्राप्त/प्राप्य	
	रकम ।	
	(च) घोषित प्रचालन व्यय के संबंध में प्रचालन लाभ ।	हां/नहीं
	(छ) क्या हरतांतरित नियम 10नघ के अधीन विनिर्दिष्ट	
	परिस्थितियों के अनुसार हैं ।	
	<b>3</b>	
4.	क्या पात्र निर्धारिती ने नियम 10नग के मद (iv) में निर्दिष्ट	हां/नहीं
	अंतरासमूह ऋण दिया है ?	
	u -	

		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	यदि हां, तो निम्नलिखित ब्यौरे उपलब्ध करे* :	•
ĺ.	(क) उस सहबद्ध उद्यम (सउ) का नाम और पता	
	जिसके साथ पात्र अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार किया गया	
1	है ।	)
	(ख) उस देश या राज्यक्षेत्र का नाम जहां (सउ)	
	अवस्थित हों ।	
	(ग) क्या वह देश या राज्यक्षेत्र नियम 10नक में	·
i	परिभाषित ऐसा देश या राज्य क्षेत्र जहां कर नहीं है या	
	कम है ।	
	(घ) पात्र अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार का वर्णन ।	
	(ङ) ब्याज की वह दर जो प्रत्येक उधार के बाबत	
	1	हां/नहीं
)	प्रभारित की गई है।	61/161
Ì	(च) क्या हस्तांतरित नियम 10नघ के अधीन विनिर्दिष्ट	
	परिस्थितियों के अनुसार हैं।	
5,	1 .	हां/नहीं
	निगमित प्रत्याभूति दी है ?	
	यदि हां, तो निम्नलिखित ब्यौरे प्रदान करें*:	
	·	
	(क) सहबद्ध उद्यमों के नाम और पते जिनके साथ पात्र	
	अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार किया गया है	· ·
ļ	(ख) उस देश का नाम जिसमें सहबद्ध उद्यम (सउ) अवस्थित	
	है।	
	(ग) क्या देश या राज्यक्षेत्र कर विहीन या निम्न कर वाला देश	
} '	या राज्यक्षेत्र है जो नियम 10नक में परिभाषित है।	
	(घ) पात्र अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार का वर्णन	
	(ङ) वह दर जिस पर घोषित संव्यवहार की बाबत आयुक्त	
	फीस प्रभारित की गई है	
	(च) क्या ए.ई. का प्रत्यय दर होना अपेक्षित है, यदि हां तो	
	प्रत्यय दर निर्धारण और दर निर्धारण अभिकरण का नाम	
	(छ) क्या नियम 10 नद्य में विनिर्दिष्ट परिस्थतियों के अनुसार	਼ . ਵਾਂ/ਜਦੀਂ
	अंतरण कीमत है ।	61/-161
	अतरण प्राचार है।	
<u> </u>	क्या पात्र निर्धारिती ने नियम 10नग की मद (vi) में	
6.	1	•
]	यथाविनिर्दिष्ट साफ्टवेयर विकास सेवाओं से संबंधित पूर्णतः या	
	भागतः अनुसंघान और विकास सेवाओं की संविदा के उपबंधों की	· .
	बाबत कोई अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार किया है ?	
1	यदि हां, तो निम्नलिखित व्यौरे प्रदान करें* :	
	(क) सहबद्ध उद्यमों (सउ) के नाम और पते जिनके साथ	• "
	अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार किया गया है ।	
	(ख) उस देश या राज्यक्षेत्र का नाम जिसमें एई अवस्थित है।	
] .	(ग) क्या देश राज्यक्षेत्र कर विहीन या निम्न कर वाला देश या	,
	राज्यक्षेत्र है जो नियम 10नक में परिभाषित किया गया	
ļ	है ।	
	(घ) पात्र अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार का वर्णन ।	]
	(ड) प्रदान की गई सेवाओं के लिए प्राप्त रकम ।	
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
,		i i

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	(च) घोषित प्रचालन व्यय के संबंध में प्रचालन लाभ सीमा।	
i	(छ) क्या नियम 10नघ के अधीन विनिर्दिष्ट परिस्थितियों के	
	अनुसार अंतरण कीमत हैं ।	हां/नहीं
7.	क्या पात्र निर्धारिती ने नियम 10नक की मद (vii) में यथानिर्दिष्ट प्रजातिगत औषधभेषजीय ओषधियों के संबंध में पूर्णतः या भागतः अनुसंधान और विकास सेवाओं की संविदा के उपबंधों की बाबत कोई अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार किया है ?	1
 	यदि हां, तो निम्नलिखित ब्यौरे प्रदान करें* :	
	(क) सहबद्ध उद्यमों (एई) के नाम और पते जिनके साथ अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार किया गया है। (ख) उस देश या राज्यक्षेत्र का नाम जिसमें एई अवस्थित है। (ग) क्या देश या राज्यक्षेत्र कर विहीन या निम्न कर वाला देश या राज्यक्षेत्र है जो नियम 10नक में परिमाषित किया गया है। (घ) पात्र अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार का वर्णन! (ड) प्रदान की गई सेवाओं के लिए प्राप्त रकम। (च) घोषित प्रचालन व्यय के संबंध में प्रचालन लाभ सीमा। (छ) क्या नियम 10नक के अधीन विनिर्दिष्ट परिस्थितियों के	
	अनुसार अंतरण कीमत हैं ।	हां/नहीं
8.	क्या पात्र निर्धारती ने नियम 10नग की मद (viii) में निर्दिष्ट कोर आटो संघटकों के विनिर्माण और निर्यात की बाबत कोई अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार किया है ? (क) सहबद्ध उद्यमों (एई)के नाम जिनके साथ पात्र अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार किया जाता है (ख) उस देश या राज्यक्षेत्र का नाम जिसमें सहबद्ध उद्यम अवस्थित हों । (ग) क्या देश या राज्यक्षेत्र कर विहीन या निम्न कर वाला देश या राज्यक्षेत्र है जो नियम 10नक में परिभाषित है । (घ) पात्र अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार का वर्णन । (इ) ऐसे संव्यवहार के संबंध में प्राप्त या प्राप्य रकम । (च) घोषित प्रचालन व्यय के संबंध में प्रचालन लाभ सीमा । (छ) क्या नियम 10नघ के अधीन विनिर्दिष्ट परिस्थितियों के अनुसार अंतरण कीमत है ।	हां/नहीं
9.	क्या पात्र निर्धारिती ने नियम 10नग की मद (ix) में यथाविहित गैर कोर आटो संघटकों के विनिर्माण और निर्यात की बाबत कोई अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार किया है ? (क) उन सहबद्ध उद्यमों (ए.ई.) के नाम और पत्ते जिनके साथ पात्र अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार किया गया है ।	हां/नहीं
	(ख) देश या राज्यक्षेत्र का नाम जिसमें ए.ई. अवस्थित है । (ग) क्या देश या राज्यक्षेत्र नियम 10नक में यथापरिभाषित कर विहीन या निम्न कर वाला देश या राज्यक्षेत्र है । (घ) पात्र अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार का वर्णन ।	

- (ङ) ऐसे संव्यवहार के संबंध में प्राप्त या प्राप्य रकम ।
- (च) घोषित प्रचालन व्यय के संबंध में प्रचालन लाभ सीमा I
- (छ) क्या नियम 10नघ के अधीन विनिर्दिष्ट परिस्थितियों के अनुसार अंतरण कीमत है ।

हां/नहीं

में घोषणा करता हूं कि यहां प्रस्तुत की गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है और सत्यरूप में कथित है ।

भवदीय

स्थान :

तारीख:

हस्ताक्षर नाम पंदनाम/क्षमता पता

## टिप्पण :

- # नियम 10नख के अनुसार निर्धारिती के ब्यौरे प्रदान किए जाएं ।
- \* यथास्थिति, सुसंगत निर्धारण वर्ष या पहले सुसंगत निर्धारण वर्षों के लिए ब्यौरे प्रदान किए जाएं ।
  - प्रत्येक पात्र अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार की विशिष्टियां घोषित अंतरण कीमत के साथ पृथक् रूप से रिपोर्ट की जानी चाहिए ।
  - धारा 140 के अधीन आयकर की विवरणी पर हस्ताक्षर करने के लिए आवेदन, प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होने चाहिए ।

अधिसूचना सं0 77 /2013 [फा.सं. 142/28/2013-टीपीएल]

(आशीष कुमार)

निदेशक, भारत सरकार

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में संख्या का.आ.969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए और अधिसूचना सं. का.आ. 2668(अ) तारीख 04.09.2013 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए ।